रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बुधवार, मई 25, 2011/ज्येष्ठ 4, 1933

No. 269] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 25, 2011/JYAISTHA 4, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2011

सा.का.नि. 402(अ).— केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बंगलौर मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकृत" से बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में उनका है ।

3. मालों या सामान का वहन--कोई भी व्यक्ति, बंगलौर मेट्रो रेल की पूर्व अनुमति के सिवाय बंगलौर मेट्रो रेल में यात्रा करते समय, उसकी निजी वस्तुओं को अन्तर्विष्ट करने वाले ऐसे बैगेज से भिन्न किसी अन्य माल का वहन नहीं करेगा, जो आकार में 60 सेन्टी मीटर X 45 सेंटी मीटर X 25 सेन्टी मीटर और भार में 15 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।

4. खतरनाक और घृणोत्पादक सामग्री ले जाने का प्रतिषेध--(1) कोई भी व्यक्ति बंगलौर मेट्रो रेल पर निम्नलिखित खतरनाक सामग्रियों को नहीं ले जाएगा या किसी को नही ले जाने देगा, अर्थात् :—

(क) विस्फोटक पदार्थ, जिनमें विस्फोट या आग लगने या दोनों का जोखिम है ;

(ख) संपीड़ित, द्रविकृत या दबाव के अधिन घुली हुई गैसें ;

(ग) पेट्रोलियम और अन्य ज्वलनशील द्रव ;

(घ) ज्वलनशील ठोस ;

(ङ) ऑक्सीकरणीय पदार्थ ;

(च) जहरीले (विषैले) पदार्थ ;

(छ) अम्ल और अन्य संक्षारक ;

(ज) रेडियोधर्मी पदार्थ ;

(झ) हथियार, आयुध और गोला-बारुद ।

(2) कोई भी व्यक्ति बंगलौर मेट्रो रेल पर निम्नलिखित घृणोत्पदक सामग्री नहीं ले जाएगा या किसी को नही ले जाने देगा, अर्थात् :–

(क) लहू, शुष्कित ;

(ख) शव ;

(ग) मृत पशुओं के कंकाल ;

(घ) हड्डियां, विरंजित और साफ की गई हड्डियों का छोड़कर ;

(ङ) किसी भी किस्म की खाद ;

(च) चीथड़े, तेल से सने चीथड़ों सहित ;

(छ) कोई क्षयशील पशु या वनस्पति सामग्री ;

(ज) मानवीय अस्थि-कलश ;

(झ) मानवीय कंकाल ;

(ञ) मानव शरीर के भाग ।

(3) कोई भी व्यक्ति बंगलौर मेट्रो रेल पर किसी जीवित पशु और पक्षी को नहीं ले जाएगा या किसी को नही ले जाने देगा ।

(4) यदि बंगलौर मेट्रो रेल के किसी पदधारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के किसी आधान में या अन्यथा कोई खतरनाक या कोई घृणोत्पादक सामग्री का वहन कर रहा है तो वह ऐसे किसी आधान को, उसकी अन्तर्वस्तु को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए उसके वाहक द्वारा खुलवा सकेगा ।

(5) बंगलौर मेट्रो रेल का कोई पदधारी, किसी खतरनाक या कोई घृणोत्पादक सामग्री का वहन करने वाले किसी व्यक्ति को बंगलौर मेट्रो रेल से हटा सकेगा ।

(6) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों, राज्य पुलिस, परा-सन्य बलों, राष्ट्रीय केडेट कार्पस और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों या संघराज्य क्षेत्र वर्दीधारी बलों के सदस्य,

अपने कतर्व्य के अनुक्रम में बंगलौर मेट्रो रेल में प्राधिकृत हथियार, आयुध और गोला-बारूद का वहन कर सकेंगे ।

5. अन्य अधिनियमों और नियमों का लागू होना--(1) इन नियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित के लागू होने का निवारण करती है,--

(क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का अधिनियम 4) ;

(ख) विस्फोटक नियम, 1983;

(ग) भारतीय आयुध अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम 54) ;

(घ) भारतीय आयुध नियम, 1962 ;

(2) इन नियमों की कोई बात बंगलौर मेट्रो रेल यात्री को माचिस की एक डिब्बी या कोई गैस लाइटर पास रखने से निवारित नहीं करेगी ।

6. संक्रामक और सांसर्गिक के रूप में घोषित रोग--किसी घोषित संक्रामक या सांसर्गिक रोग, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित रोग भी हैं, से पीड़ित कोई व्यक्ति बंगलौर मेट्रो रेल में यात्रा नहीं करेगा, अर्थात् :--

(क) सेरिबरो-स्पाइनल मेनिंगसाइटिस ;

(ख) चिकन-पॉक्स ;

(ग) हैजा ;

(घ) काली खांसी ;

(ङ) खसरा ;

(च) कनपेडा ;

(छ) लोहित ज्वर ;

(ज) तंद्रिक ज्वर ;

(झ) टाइफाइड ज्वर ;

(ञ) कुकुट खांसी :

परन्तु क्लोज्ड (अप्रभावी) कुष्ठ रोगी की दशा में, किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा रोग की अप्रभाविकता प्रमाणित करते हुए दिए गए प्रमाणपत्र को धारित करने वाला ऐसा रोगी बंगलौर मेट्रो रेल में यात्रा कर सकेगा ।

7. टिकट की विशिष्टियां--(1) मेट्रो रेल में यात्रा करने का इच्छुक किसी व्यक्ति को, संदाय करने पर बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा या बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा इस निमित प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा टिकट जारी की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी टिकट निम्नलिखित किस्मों का होगा, अर्थात् :--

(i) बहु यात्राओं के लिए संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड ;

(ii) एकल यात्रा के लिए संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट टोकन ;

(iii) समूह यात्राओं के लिए जारी समूह पत्र टिकट ;

(iv) ऐसी कोई अन्य किस्म, जो बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(3) संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड :

(i) संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड दो किस्म का होगा, अर्थात् मेट्रो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड और काम्बो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड ;

(ii) यद्यपि, मेट्रो टिकटिंग उपयोजन के लिए, केवल संपर्क ब्यौरा रहित चिप होगी, वहीं काम्बो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्डों में संपर्क ब्यौरा रहित एक कार्ड में, क्रमशः टिकटिंग और बैंककारी उपयोजन के लिए संपर्क ब्यौरा रहित और एक मैगस्ट्रिप दोनों होंगे ;

(iii) जहां तक टिकटिंग का संबंध है मेट्रो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड और काम्बो संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड, दोनों का कृत्य एक जैसा होगा ।

(4) संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड टोकन :

(i) संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड टोकन का उपयोग केवल एकल यात्रा के लिए किया जाएगा ;

(ii) संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड टोकन का मूल्य, बंगलौर मेट्रो रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रकाशित किराया सूची में विनिर्दिष्ट किराए के अनुसार होगा ;

(iii) संदत्त किराए को टोकन में कूटकृत किया जाएगा और इसकी विधिमान्यता एक दिन के लिए होगी ;

(iv) यात्रा के पूरा होने पर संपर्क ब्यौरा रहित स्मार्ट कार्ड टोकन को निकास द्वार पर वापस ले लिया जाएगा ।

(5) समूह पत्र टिकट :

समूह पत्र टिकट, एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के बड़े समूह की, जिन्हें पत्र टिकट के व्यक्तिक सत्यापन द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई है, यात्रा की बुकिंग के लिए एक पत्र स्लिप के रूप में जारी कई एकल टिकट हो सकेगी ।

[फा. सं. के–14011/45/2010–मेट्रो]

एस. के. लोहिया, ओएसडी (शहरी परिवहन) और पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2011

G.S.R. 402(E).— In exercise of the powers conferred by section 32 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Bangalore Metro Railway (Carriage and Ticket) Rules, 2011.

   (2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

   (a) " Act" means the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

   (b) "authorised" means authorised by the Bangalore Metro Railway administration;

   (2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Metro Railway (Operation & Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) shall have the meaning, respectively, assigned to them in that Act.

3. **Carriage of goods or luggage.**- No person shall, while travelling in Bangalore Metro Railway, carry with him any goods other than baggage containing personal belongings not exceeding 60 centimetre x 45 centimetre x 25 centimetre in size and 15 kilogram in weight, except with the prior approval of the Bangalore Metro Railway administration.

4. **Prohibition against carriage of dangerous and offensive material.** – (1) No person shall take or cause to be taken on the Bangalore Metro Railway the following dangerous materials, namely:-

   (a) explosive substances which possess risk of explosion or fire or both;
   (b) gases compressed, liquefied or dissolved under pressure;
   (c) petroleum and other inflammable liquids;
   (d) inflammable solids;
   (e) oxidizing substances;
   (f) poisonous (toxic) substances;
   (g) acids and other corrosives;
   (h) radio active substances;
   (i) weapons, arms and ammunitions.

   (2) No person shall take or cause to be taken on the Bangalore Metro Railway the following offensive materials, namely:-

   (a) blood, dried;

1887 GI/11-2

(b) corpses;
(c) carcasses of dead animals;
(d) bones excluding bleached and cleaned bones;
(e) manure of any kind;
(f) rags, including oily rags;
(g) any decayed animal or vegetable matter;
(h) human ashes;
(i) human skeleton
(j) parts of human body.

(3) No person shall take or cause to be taken on the Bangalore Metro Railway the live animals and birds.

(4) If any official of the Bangalore Metro Railway has reason to believe that any person is carrying with him, in a container of any form, or otherwise, any dangerous or offensive material, he may cause such container to be opened by its carrier for the purposes of ascertaining its contents.

(5) Any official of the Bangalore Metro Railway may remove from the Bangalore Metro Railway any person taking with him any dangerous or offensive material.

(6) Notwithstanding anything contained in these rules, the members of the Armed Forces of the Union, the State Police, the para-military forces, the National Cadet Corps, and other uniformed forces of the Central Government, State Governments or the Union territory while on the Bangalore Metro Railway in the course of their duty, may carry the authorised weapons, arms and ammunition.

5. **Application of other Acts and rules.–** (1) Nothing in these rules shall be deemed to detract from the operation of.-

(a) the Explosive Act, 1884 (Act 4 of 1884);
(b) the Explosive Rules, 1983;
(c) the Indian Arms Act, 1959 (Act 54 of 1959); or
(d) the Indian Arms Rules, 1962.

(2) Nothing in these rules shall prevent carrying of one piece of safety match box or a gas lighter by a Bangalore metro railway passenger.

6. **Diseases declared to be infectious and contagious .–** No person suffering from any declared infectious or contagious diseases including the followings, shall travel in the Bangalore metro railway, namely:-

(a) cerebro-spinal meningitis;
(b) chicken-pox;
(c) cholera
(d) diphtheria;
(e) measles;
(f) mumps;
(g) scarlet fever;
(h) typhus fever;
(i) typhoid fever;
(j) whooping cough

Provided that in the case of closed (non-infective) leprosy patient carrying a certificate from a Registered Medical Practitioner certifying him to be non-infective may travel in the Bangalore Metro Railway.

7. **Particulars of ticket.**– (1) Any person desirous of travelling on the metro railway shall, upon payment, be issued with a ticket by the Bangalore Metro Railway Administration or an agent authorised by the Bangalore Metro Railway Administration in this behalf.

(2) The ticket issued under sub-rule (1) shall be of following types, namely:-

(i) Contactless Smart Card for multiple journeys;

(ii) Contactless Smart Token for single journey;

(iii) Group Paper Ticket issued for group journeys;

(iv) Any other type as may be decided upon by the Bangalore Metro Railway Administration.

(3) Contactless Smart card:

(i) contactless Smart card shall be of two types, viz. Metro Contactless Smart Card and Combo Contactless Smart Card.

(ii) while Metro shall have only contactless chip for ticketing application, the Combo Contactless Smart Cards shall have both contactless chip and a magstrip for ticketing and banking application, respectively in one card;

(iii) both Metro Contactless Smart Card and Combo Contactless Smart Cards shall have the same functionality as far as ticketing is concerned.

(4) Contactless Smart Token:

(i) Contactless Smart Tokens shall be used for single journey only.

(ii) the value of contactless smart token shall be as per the fare specified in the fare table published by the Bangalore Metro Railway administration from time to time;

(iii) fare paid shall be encoded on the token and its validity shall be for one day.

(iv) Contactless Smart Tokens shall be captured at the exit gate on completion of journey.

(5) Group Paper Ticket:

Group paper ticket may be a single ticket issued in the form of paper slip for booking a large group of persons travelling together and permitted to perform journey by manual verification of paper ticket.

[F. No. K-14011/45/2010-Metro]

S. K. LOHIA, OSD (Urban Transport) & E.O. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.